न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 02/16

1. सचिव, ग्राम पंचायत 5 के के पंचायत समिति, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. धर्मपाल शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहामण निवासी चक 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मंगतसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति रामगढिया निवासी 5 के के तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत, चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम,1994

उपस्थित :
1. श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता सं01
2. श्री रामेश्वर लाल सुथार, अधिवक्ता, निरानीकर्ता सं0 2
3. श्री जीतपाल सैनी, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्त्ता सं0 1

आदेश

दिनांक : 14.2.17

निगरानीकर्ता द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानी के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीककर्ता सं0 1 ग्राम पंचायत 5 के के में सचिव के पद पर कार्यरत है । निगरानीकर्ता सं0 1 को पंचायत समिति, पदमपुर के आदेश कमांक 2988 दिनांक 21.12.15 के द्वारा निगरानीकृत पट्टा को निरस्त कराने बाबत निगरानी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में पट्टा दिनांक 5–7–79 को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पत्रावली का संधारण नहीं किया गया है, न ही मौका की रिपोर्ट प्राप्त की गई है, न ही कानूनी प्रावधानों की पालना की गई है। खसरा रजिस्टर में कॉट छॉट की गई है। भूखण्ड सं0 11 जो रास्ता के लिए रिजर्व था, को अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया है। भूखण्ड सं0 11 साईज 14 गुणा 146 फुट की गली है, जिसे ग्राम पंचायत को आवंटित करने का अधिकार नहीं है। निगरानीधीन आदेश

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किए पारित किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया आवंटन फर्जी है, जिसके संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय, श्री गंगानगर के समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत कमांक एफ 24(6)जॉच/पंचायत/2015 / 789 दिनांक 21.9.15 की जॉच, जॉच अधिकारी श्री धर्मपाल मौर्य पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत शाखा, श्री गंगानगर द्वारा की गई, जिसमें जॉच अधिकारी ने माना कि ग्राम पंचायत 5 के के में अहाता सं0 11 जो सार्वजनिक गली में है एवं श्री मंगतसिंह द्वारा नाजायज कब्जा कर गली को बंद कर रखा है। श्री मंगतसिंह के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के तहत फौजदारी मामला 20/13 दर्ज किया जा चुका है। मंगतसिंह द्वारा प्रस्तुत पट्टा रेकार्ड के अनुसार फर्जी है। फर्जी आवंटन के बारे में जॉच रिपोर्ट 789 दिनांक 21.9.15 के द्वारा जिला कलक्टर, श्री गंगानगर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्री गंगानगर को अपने पत्र कमांक 807 दिनांक 29.9.15 द्वारा सूचित किया गया, जिसके द्वारा अपने पत्र कमांक 1496–97 दिनांक 30.11.15 द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर को निगरानीकृत पट्टा को निरस्त करवाने के लिए निर्देशित किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर द्वारा पत्र कमांक 2988 दिनांक 21.12.15 द्वारा निगरानीकर्ता को फर्जी पट्टा को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर, निगरानीकृत पट्टा को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से प्राप्त किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में पट्टा दिनांक 5–7–79 को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पत्रावली का संधारण नहीं किया गया है, न ही मौका की रिपोर्ट प्राप्त की गई है, न ही कानूनी प्रावधानों की पालना की गई है। खसरा रजिस्टर में कॉट छॉट की गई है। भूखण्ड सं0 11 जो रास्ता के लिए रिजर्व था, को अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया है। भूखण्ड सं0 11 साईज 14 गुणा 146 फुट की गली है, जिसे ग्राम पंचायत को आवंटित करने का अधिकार नहीं है। निगरानीधीन आदेश बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किए पारित किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया आवंटन फर्जी है, जिसके संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय, श्री गंगानगर के समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत कमांक एफ 24(6)जॉच/पंचायत/2015 / 789 दिनांक 21.9.15 की जॉच, जॉच अधिकारी श्री धर्मपाल मौर्य पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत शाखा, श्री गंगानगर द्वारा की गई, जिसमें जॉच अधिकारी ने माना कि ग्राम पंचायत 5 के के में अहाता सं0 11 जो सार्वजनिक गली में है एवं श्री मंगतसिंह द्वारा नाजायज कब्जा कर गली को बंद कर रखा है। श्री मंगतसिंह के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के तहत फौजदारी मामला 20/13 दर्ज किया जा चुका है। मंगतसिंह द्वारा प्रस्तुत पट्टा रेकार्ड के अनुसार फर्जी है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर, निगरानीकृत पट्टा को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि सचिव ग्राम पंचायत को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। निगरानीकृत पट्टा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रमाणित प्रति प्रस्तुत न करने के कारण राजस्व न्यायालय मैन्युअल भाग (II) नियम के अनुसार आज्ञाप्क प्रावधान होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी 37 वर्ष बाद पेश की गई है, देरी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

को स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता सं0 1 ने सिविल न्यायालय, पदमपुर में दावा पेश किया हुआ है तथा आहाता सं0 11 व 12 के संबंध में अपर जिला न्यायाधीश, श्री करणपुर में विचाराधीन अपील सं0 9/13 मंगतसिंह बनाम धर्मपाल वगैरा में दिनांक 19.11.15 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, जिसके कारण पट्टे के संबंध में निगरानी चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत एग्रीवड पर्सन नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा ही पट्टा जारी किया गया है और ग्राम पंचायत ही पट्टा को निरस्त कराने के लिए निगरानी पेश कर रही है। निगरानीकृत पट्टा राजस्थान पंचायत राज के पुराने नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया है जबकि निगरानी नये नियमों के अन्तर्गत पेश की गई है इसलिए निगरानी चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकर्तागण की निगरानी खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

हस्तगत निगरानी के माध्यम से निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा दिनांक 5–7–79 जो ग्राम पंचायत 5 के के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 मंगतसिंह को जारी किया गया है, को निगरानी के माध्यम से निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जिन कानून आपतियों को उठाया है, उनका निस्तारण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18–3–16 किया जा चुका है। इस आदेश के विरूद्व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट (सी डब्ल्यू) नं0 4418/16 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17–10–16 को निम्न आदेश पारित किया गया :–

"Accordingly, the writ petition is disposed of requiring the learned Addl. District Collector [Admn.] Sri GangaNagar to hear on merritts and dispised of the above mentioned revision within a period of Six months from the date of receipt of copy of this order **without being prejudiced by any of the observation made in the order dated 18-3-16 in view of the fact** that the writ petiton itself has been decided the stay application as well as IA are disposed of as having become infructous.

इस प्रकार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 18–3–16 से व्यथित हुए बिना निगरानी को गुणदोष के आधार पर निर्णित करने के आदेश दिये हैं।

अप्रार्थी सं01 के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि निगरानी अत्यधिक विलम्ब 37 वर्ष के बाद पेश की गई है, इसलिए निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसके खण्डन में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं है इसलिए मियाद अधिनियम के प्रावधान निगरानी पर लागू नहीं होते हैं।

आर आर टी 2002(1) पेज 434 के न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

" राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 97 परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137– धारा 97 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग – राज्य सरकार को असीमित शक्तियाँ हैं – अनुच्छेद 137 के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A15
4

– 39 वर्ष पश्चात् पट्टा निरस्त करना मनमानी है एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है – प्रार्थी में भूमि पर अधिकार सृजित हुए – अभिनिर्णित, अपर कलक्टर ने पट्टा निरस्त करने में अवैधता की है – आदेश अपास्त किया "।

हस्तगत निगरानी प्रकरण में ग्राम पंचायत 5 के के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को 5–7–79 को पट्टा जारी किया है और इस निगरानीकृत पट्टे को 31–12–15 को 36 वर्ष बाद चुनौति दी गई है। इतने भारी अन्तराल को स्पष्ट नहीं किया गया है जो अपने आप में अस्पष्ट है। अतः 36 वर्ष बाद निगरानीकृत पट्टे को निरस्त करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि निगरानीकृत भूखण्ड सं0 11 के संबंध में प्रकरण सिविल न्यायाधीश, पदमपुर के न्यायालय में मंगतसिंह बनाम धर्मपाल वगैरा वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है तथा अपर जिला न्यायाधीश, श्री करणपुर द्वारा दिवानी अपील सं0 9/13 में दिनांक 19–11–15 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, श्रीकरणपुर द्वारा विविध दिवानी अपील सं0 09/13 मंगतसिंह बनाम धर्मपाल व अन्य में दिनांक 19–11–15 को आदेश पारित किये गये हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक अपीलांट के अहाता सं0 11व 12 जो पट्टा शुदा अहाता हैं, में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी न करें और उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न की जावे। मूल वाद सं0 15/13 मंगतराम बनाम धर्मपाल वगैरा व0 सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजि0, प्रथम वर्ग, पदमपुर के न्यायालय में लंबित है। अतः ऐसी स्थिति में मूल वाद के विचाराधीन रहने तक अपर जिला न्यायाधीश, श्री करणपुर का निगरानीकृत भूखण्ड पर स्थगन प्रभावी होने से, हस्तगत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्तागण की निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 14–2–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.17
(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

नोट: आदेश दिनांक 28.2.17 के अनुसरण में निर्णय के शीर्षक में गैरनिगरानीकर्ता सं0 दो ग्राम पंचायत चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थान पर ग्राम पंचायत 5 KK जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 5 KK तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0) पढा जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner